M

दृष्टि The Vision

drishti

GENERAL STUDIES (Test–2)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

DTVF/22 (J-A)–M–**GSM (M-I)-2202**

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: रजनीश पटेल **Mobile Number:** _____

Medium (English/Hindi): _____ **Reg. Number:** _____

Center & Date: _____ **UPSC Roll No.** ***(If allotted)*****:** _____

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।
प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:
*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*
All the questions are compulsory.
The number of marks carried by a question is indicated against it.
Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.
Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.
Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा भरा जाए *(To be filled by Evaluator only)*

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.	5	11.	7.5
2.	5	12.	8
3.	5	13.	7.5
4.	5	14.	8
5.	3	15.	7.5
6.	3.5	16.	7.5
7.	5	17.	7
8.	5.5	18.	7.5
9.	4.5	19.	8
10.	2.5	20.	7.5
Grand Total (सकल योग)	120		

EC-603

मूल्यांकनकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्त्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

drishti | दृष्टि The Vision

Feedback

1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता)
2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता)
3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता)
4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह)
5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता)
6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता)

उत्तर पुस्तिका के समग्र मूल्यांकन के आधार पर आपके द्वारा किया गया प्रदर्शन सराहनीय है।

प्रश्न की मांग के अनुरूप स्पष्ट भूमिका के साथ उत्तर को प्रारंभ किया गया है व सटीक निष्कर्ष के साथ उत्तर को समाप्त किया गया है।

प्रश्नों के संदर्भ को समझते हुए सटीक विषयवस्तु का समावेश उत्तर में किया गया है, किंतु प्रश्न संख्या 6 एवं 10 पर ध्यान दें।

भाषा स्पष्ट, पठनीय व प्रवाहपूर्ण है।

उत्तरों का प्रस्तुतीकरण सराहनीय है।

उत्तर लेखन में समग्रता, विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण के इस समावेश को निरंतरता के साथ जारी रखें।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

drishti | दृष्टि The Vision

1. भारत में नियामक निकायों के कामकाज को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं? उन तरीकों के बारे में बताइये जिनसे इन्हें संबोधित किया जा सकता है? (150 शब्द) 10
What are the challenges affecting the functioning of regulatory bodies in India. Enumerate ways in which these can be addressed? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नियामक निकायों की भूमिका सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने एवं सभी के लिए एकसमान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण होती है। कुछ प्रमुख नियामक निकाय → RBI, SEBI, IRDAI आदि हैं।

सटीक व संक्षिप्त भूमिका।

कामकाज को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ

⇒ विशेषज्ञता का अभाव।

⇒ अवसंरचनात्मक गुणवत्ता में कमी।

⇒ न्यायालयों द्वारा नियामकों के निर्णयों के क्रियान्वयन पर रोक लगाना।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

5/10 good

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

⇒ नियामकों पर नरमी बरतने हेतु सरकारी दबाव।

⇒ नियामकीय पदों पर चुनाव करते समय दक्षता की जगह सत्तादल से नजदीकी को महत्व देना आदि।

* प्रस्तावी प्रस्तुतीकरण के साथ सटीक विश्लेषण।

सुझाव

→ क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञों को नियामकीय निकायों में चुनाव हो।
→ दक्षता हेतु तकनीक का प्रयोग।
→ अवसंरचना विकास।
→ न्यायालयीय हस्तक्षेप से मुक्ति।
→ अन्य देशों के अनुभवों से सीखें।

इस प्रकार नियामकों की उपयोगिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

drishti | दृष्टि The Vision

2. न्यायेत्तर हत्याओं (Extra-judicial Killings) के कारणों की पहचान कीजिये और उन उपायों पर चर्चा कीजिये जिनकी मदद से इन्हें रोका जा सके। (150 शब्द) 10
Identify the reasons behind extra-judicial killings and discuss the measures that are required to be taken. (150 words) 10

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं चाहिये। (Candidate write on th

good

न्यायेत्तर हत्याओं से आशय पुलिस हिरासत में न्यायालय के आदेश के बिना हुई हत्या से है जिसमें पुलिस की सहभागिता होती है।

न्यायेत्तर हत्याओं के कारण

दंडी न्यायिक प्रक्रिया + कम सजा दर।

⇒ मीडिया द्वारा रेप आदि गंभीर मामलों में अभियुक्तों को त्वरित न्याय देने का दबाव फर्जी एनकाउंटर को प्रेरित करता है।

⇒ पुलिस द्वारा असंवेदनशील व्यवहार, टार्चर भी न्यायेत्तर हत्या करवाता है।

⇒ पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार भी एक घटक है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

5/10

प्रश्न प्रासंगिक बिंदुओं का उत्तर में समावेश।

उपाय

⇒ थानों में C.C.T.V. कैमरे हों, पूछताछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा हो।

⇒ पुलिस को संवेदनशील बनाया जाय।

⇒ एनकाउंटर संस्कृति को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित किया जाय।

⇒ मानवाधिकार संगठनों की भूमिका को महत्व प्रदान करते हुए मानवाधिकार के संबंध में सामान्य जागरूकता स्तर में वृद्धि की जाय।

वस्तुतः न्यायेत्तर हत्याएँ अनुच्छेद-21 का उल्लंघन होने के साथ-साथ गंभीर अपराध हैं। ऐसे हर मामले की जाँच गैर पुलिस विभाग द्वारा की जानी चाहिए।

good

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

drishti | दृष्टि The Vision

3. समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिये इसकी प्रासंगिकता और इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द) 10

What do you understand by the Uniform Civil Code? Examine its relevance for a secular country like India and challenges in its implementation. (150 words) 10

उम्मीदवार को हाशिये में नहीं चाहिये।
(Candidate write on this

समान नागरिक संहिता से आशय नागरिक अधिकारिता, जैसे- विवाह, उत्तराधिकार आदि के संबंध में एकसमान कानून से है भारत के संविधान के अनुच्छेद- 44 में इससे संबंधित प्रावधान हैं।

good

भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता

⇒ भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है यह एक पंथनिरपेक्ष राज्य है अतः यहाँ नागरिक अधिकारिता के संबंध में एकसमान कानून होना चाहिए।

⇒ इससे धार्मिक आधार पर अधिकारों का अतिक्रमण समाप्त होगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

⇒ सांप्रदायिकता में कमी आएगी।

⇒ समानता के तत्व में वृद्धि होगी।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

→ अल्पसंख्यकों की आशंकाएँ

→ सामान्य सहमति तैयार करना मुश्किल

→ संविधान में यह नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है अतः बाध्यकारी नहीं।

→ भारत जैसे बहुधर्मी बहुपंथी राष्ट्र में यह एक नई समस्या को जन्म दे सकता है।

हाल ही में उत्तराखंड में इसकी शुरुआत का प्रयास किया जा रहा है इस अनुभव से निश्चय ही भविष्य हेतु महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होगी।

5/10

• सशक्त भूमिका के साथ उत्तर को शुरू एवं सटीक निष्कर्ष के साथ उत्तर को समाप्त किया गया है।

good

हैंडराइटिंग साफ सुथरी है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

drishti | दृष्टि The Vision

4. अन्य कारणों के अलावा नियुक्ति प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियों ने निचली न्यायपालिका में रिक्तियों में योगदान दिया है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द) 10

Systemic flaws in the appointment process among other reasons have contributed to vacancies in the lower judiciary. Comment. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

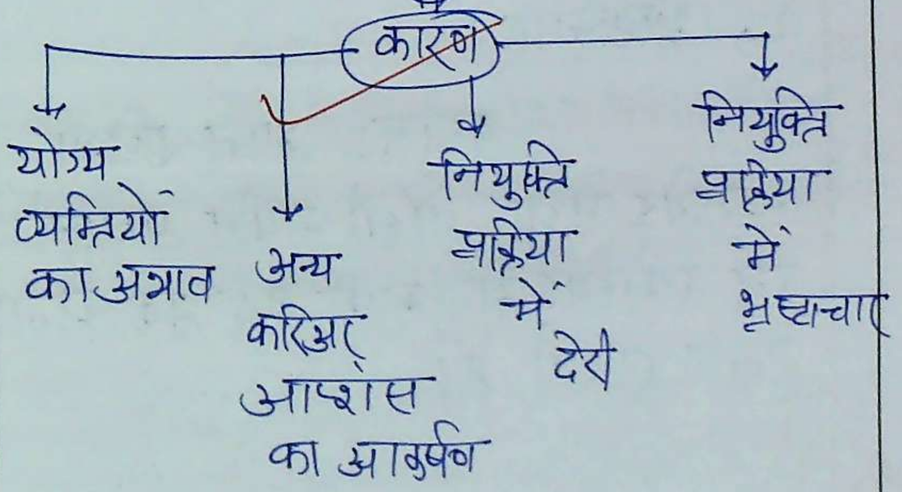

भारत में वादों की लंबितता के पीछे न्यायपालिकीय रिक्तियों को प्रमुख कारक माना जाता है। इसके प्रमुख कारण अधोलिखित हैं।

प्रभावी भूमिका लेखन का सफल प्रयास।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

5/10

नियुक्ति प्रक्रिया में प्रणालीगत खामियाँ

→ एक स्वतंत्र नियुक्ति निकाय का अभाव।

→ नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव।

→ नियुक्ति हेतु प्रस्तावित नामों के अनुमोदन में देरी।

→ भ्रष्टाचार।

वस्तुत: आल इण्डिया न्यायिक सेवा जैसी नवीन प्रणाली इस समस्या से काफी हद तक निजात दिला सकती है।

* समग्रता के साथ to-the point उत्तर लेखन का प्रयास अच्छा है।

निष्कर्ष सही है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

drishti | दृष्टि The Vision

5. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के साथ, संसद ने सहकारी संघवाद के ताने-बाने को हिला दिया है। संसद द्वारा पारित कानून के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

With the Citizenship (Amendment) Act 2019, the Parliament has shaken the fabric of cooperative federalism. Discuss the statement with reference to the rights and obligations of the States against a law passed by the Parliament. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

संसद ने भारत के पड़ोस में प्रताड़ित कुछ अल्पसंख्यक समुदायों की भारत में नागरिकता सुनिश्चित करने हेतु उन्हें विशेष छूट प्रदान की। हालांकि इस संदर्भ में कुछ राज्यों ने आपत्ति दर्ज की है।

(नागरिकता का विषय) → केंद्रीय सूची का विषय है फिर भी।

→ राज्यों की चिंताएं अधोलिखित हैं।

→ भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में अतिरिक्त जनसंख्या के बोझ को राज्यों को ही वहन करना पड़ेगा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

→ नागरिक बनने के बाद उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याण का वृहद दायित्व राज्यों पर ही आएगा।

→ इस महत्वपूर्ण कानून के निर्माण से पूर्व राज्यों से परामर्श नहीं किया गया।

→ ऐसे लोगों की पहचान करना और अन्य दायित्व भी राज्यों पर होगा

वस्तुतः केंद्रीय विषयों में भी ऐसे व्यापक प्रभाव वाले कानूनों के निर्माण से पूर्व राज्यों की राय भी ली जानी चाहिए।

राज्यों के अधिकार

article 131 यदि केंद्र सरकार राज्य के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करती है तब राज्य सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं

S.R. बोम्मई case की चर्चा कर सकते थे।

राज्यों के दायित्व article 245 + 246 की बात कर सकते थे।

3/10

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

6. भारतीय संविधान में किये गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Discuss the relation between the President and the Council of Ministers as provided for in the Indian Constitution. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की परिकल्पना नाम मात्र के प्रमुख (De Jure Executive) के रूप में की गई है। वस्तुतः वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है।

भूमिका सही है।

राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संबंध

→ प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है।

→ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करता है।

→ राष्ट्रपति अधिकांश निर्णय मंत्रिमण्डल (मंत्रिपरिषद के बैठक) की सलाह पर लेता है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

3.5/10

• Content को article के अन्तर्गत लिखना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे article 74, 75, 77 और 78

⇒ राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होती है हालांकि वह इसे एक बार पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है।

इस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली में वास्तविक अधिकार एवं दायित्व राष्ट्रपति में न होकर मंत्रिपरिषद में निहित है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

7. भारत में न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिये। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भारत में न्याय वितरण की स्थिति में सुधार करने में कैसे मदद कर सकता है? (150 शब्द) 10

Discuss the various issues plaguing the judicial system in India. How alternate dispute resolution mechanisms can help improve the status of justice delivery in India? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

मांगानुसार 20 अधिक भूमिका

भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान है किंतु लंबित वादों आदि के चलते इसकी प्रभावशीलता सीमित नजर आती है जिसका विकल्प वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसे साधन उपलब्ध करा सकते हैं।

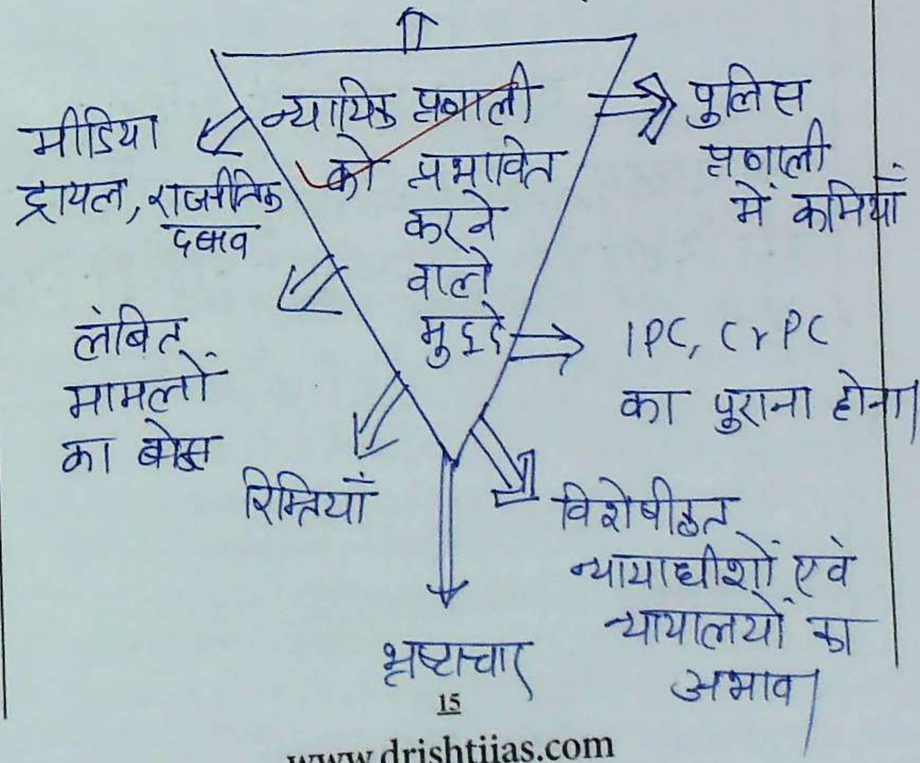

Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

5/10 good

अवधारणात्मक स्पष्टता के साथ उत्तर लेखन का प्रयास अच्छा है

वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की भूमिका

- वादों के त्वरित निवारण में
- न्यायिक लागत कम करने में
- मैत्रीपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने में
- न्यायपालिका के बोझ को कम करने में

वस्तुतः भारत में परिवार न्यायालय, लोक अदालतें आदि ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष अच्छा है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

8. भारत में सुशासन की कुछ प्रमुख बाधाओं का उल्लेख कीजिये। इन बाधाओं से संकेत लेते हुए सुशासन के लिये आवश्यक पूर्व-शर्तों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Enumerate some of the key barriers to good governance in India. Taking cues from these barriers, discuss the necessary pre-conditions for good governance. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

good

सुशासन के अन्तर्गत शासक द्वारा प्राधिकारों का प्रयोग इस तरह किया जाता है जिससे कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सुशासन की प्रमुख बाधाएँ

- परदर्शिता का अभाव।
- सहभागिता का अभाव।
- उत्तरदायित्व का अभाव।
- बॉटम अप दृष्टिकोण का अभाव।
- संवेदनशीलता का अभाव।
- भ्रष्टाचार।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें

→ सहभागिता :- सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाना चाहिए

→ स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए।

→ पारदर्शिता होनी चाहिए।

→ उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना चाहिए

→ संसाधनों का दक्ष उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए।

→ अंकेक्षण होना चाहिए।

वस्तुत: सुशासन में आज के संदर्भ में तकनीक का उपयोग भी एक आवश्यक शर्त के रूप में जुड़ गया है।

5.5/10 V.good

प्रश्न की सटीक समझ एवं उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517

9. सामाजिक लेखापरीक्षा आदर्श और वास्तविकता के बीच के अंतर को कम करने में मदद करती है। इस कथन की विवेचना कीजिये और भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा के संस्थानीकरण में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

Social audit helps to narrow gaps between vision and reality". Examine the statement and also discuss the impediments in the institutionalization of social audit in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

सामाजिक लेखा परीक्षा से आशय उपभोक्ताओं (सेवा प्राप्तकर्ताओं) द्वारा किसी योजना का मूल्यांकन प्रस्तुत करने से है।

good

लाभ

→ वास्तविक फीडबैक प्राप्त होता है।

→ 'प्रभाव' को महत्व दिया जाता है।

→ अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन होता है।

→ हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित होती है।

→ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।

भारत में संस्थानीकरण में आने वाली बाधाएँ

→ कुशल लेखापरीक्षकों का बड़ी संख्या में अभाव।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

4.5/10

⇒ सामाजिक लेखा परीक्षा संस्कृति का अभाव।

⇒ ऐसी NGOs या संस्थाओं में प्रेरणा प्रभाव की कमी।

⇒ भ्रष्टाचार की बाधा।

⇒ आम जनता की जागरूकता का निम्न स्तर।

⇒ विशेष सरकारी प्रयासों की कमी।

फिर भी मनरेगा जैसी योजना में सामाजिक लेखा परीक्षा की शुरुआत एक सकारात्मक कदम है।

सुझाव देने का प्रयास करें जैसे — मजबूत करने के लिए अभियान चलाने चाहिए + विशेषज्ञ टीम स्थापित की जानी चाहिए

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

10. प्रस्तावना न तो निषेध या सीमा का स्रोत है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The Preamble is neither a source of prohibition nor limitation. Discuss in the context of various judgments of the Supreme Court. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिसम्बर 1946 में पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे एन.ए. पालखीवाला ने 'संविधान के परिचय पत्र' की संज्ञा दी है। *good*

प्रस्तावना के संबंध में विवाद

→ संविधान का भाग है अथवा नहीं?
→ यह शक्ति का स्रोत है अथवा नहीं?
→ यह शक्तियों को सीमित करता है अथवा नहीं?

वस्तुतः शुरू में न्यायपालिका इस संदर्भ में भ्रम की स्थिति में रही

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

लेकिन बाद में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया लेकिन यह न तो शक्तियों का स्रोत है न ही इन्हें किसी प्रकार सीमित करता है फिर भी न्यायपालिका इसका संदर्भ के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के आलोक में इन संशोधनों के महत्त्व की चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
Discuss the significance of 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts with some of their important provisions. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा भारत में कार्यपालिका को त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करते हुए पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। वस्तुतः यह गांधीवादी स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

73वाँ संशोधन
- ग्राम पंचायत की स्थापना
- ब्लाक पंचायत की स्थापना
- जिला पंचायत की स्थापना

74वाँ संशोधन
- नगरपालिकाओं की स्थापना

प्रमुख प्रावधान :-
- पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला।
- पंचायतों एवं नगरपालिका हेतु क्रमशः 21

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

एवं 18 विषय निर्धारित किए गये।

- राज्यों को पंचायतों को उपर्युक्त विषयों एवं करों के दायित्व स्थानांतरण का अधिकार दिया गया।
- राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना एवं सुस्थापित निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया।
- राज्य वित्त आयोग का प्रावधान।
- महिलाओं एवं ~~दलित समुद~~ अनुसूचित वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया।

संसोधनों का महत्व

→ शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ।

→ पंचायतों की स्थापना अब राज्यों की स्वेच्छाचारिता का विषय नहीं रह गई।

→ भागीदारी एवं समावेशी लोकतांत्रिक

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रक्रिया का विकास हुआ।

→ पंचायतों के चुनाव आदि के द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया अंतिम व्यक्ति तक पहुंची।

→ राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद-40) एवं गांधीवादी स्वशासन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था।

इन सबके बावजूद आज भी पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त विषय एवं कराधिकार नहीं दिए गए हैं जिससे वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने में अक्षम हैं। हमें पंचायतों के लगातार सशक्तीकरण की तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

7.5/15

* संदर्भ द्वारा एवं विषयवस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है।

संतुलित निष्कर्ष।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

12. संसदीय विशेषाधिकार क्या हैं? संसदीय विशेषाधिकारों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये। 'संसदीय विशेषाधिकारों' के कानूनी संहिताकरण के अभाव के कारण बताइये। इस समस्या के समाधान के उपायों का उल्लेख कीजिये।
(250 शब्द) 15

What are parliamentary privileges? Explain the significance of Parliamentary privileges. Give reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. Mention measures to address this problem.
(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

Good.

संसदीय विशेषाधिकार संसद एवं इसके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार होते हैं जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संसद निर्बाध तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। संविधान में ये अनुच्छेद 105 के तहत वर्णित हैं।

कुछ संसदीय विशेषाधिकार
- संसद सदस्य को सदन में कुछ भी बोलने का अधिकार।
- संसद की कार्यवाही को गलत प्रस्तुत करने पर दण्ड देने का अधिकार।
- संसद सदस्य की गिरफ्तारी पर संसद को सूचना पाने का अधिकार।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

संसदीय विशेषाधिकारों का महत्व

- यह सदस्यों को स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव के अपनी राय रखने का अधिकार प्रदान करता है।
- सदन के भीतर संसदीय नियमों, प्रक्रियाओं आदि की संप्रभुता सुनिश्चित करता है।
- संसदीय कार्यवाही के वास्तविक प्रसारण को सुनिश्चित करता है।
- संसद की गरिमा की रक्षा करता है।
- विधायिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

कानूनी संहिताकरण क्यों नहीं?

- विशेषाधिकार किसी एक विषय, स्थिति से

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

सम्बद्ध नहीं हैं।

⇒ इनकी सटीक परिभाषा / व्याख्या करके संहिताकरण एक मुश्किल कार्य है।

⇒ संहिताकरण से अधिक केस के आधार पर संसदीय विवेक को अधिक महत्व दिया गया है।

समाधान

→ संसदीय विशेषाधिकारों का प्रयोग करते समय सतर्कता बरती जाय।

→ विशेषाधिकार समिति के सुझावों को सर्वोच्च महत्व दिया जाय।

→ सामान्य संदर्भों में इनके प्रयोग से बचा जाय।

वस्तुतः जैसे-जैसे भारत एक परिपक्व लोकतंत्र की ओर अग्रसर होगा, ये सब मुद्दे सुलझते जाएंगे।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

13. भारत में न्यायिक समीक्षा के महत्त्व की व्याख्या कीजिये। भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में संविधान में प्रमुख प्रावधानों के साथ न्यायिक समीक्षा के दायरे पर चर्चा कीजिये? (250 शब्द) 15
Explain the significance of judicial review in India. Discuss scope of judicial review with key provisions in the constitution with respect to judicial review in India? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

न्यायिक समीक्षा से आशय

न्यायपालिका द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों का संवैधानिक आधार पर मूल्यांकन ही न्यायिक समीक्षा है। इसे लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के बीच शक्ति के संतुलन हेतु महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 को न्यायिक समीक्षा का साधन माना जाता है।

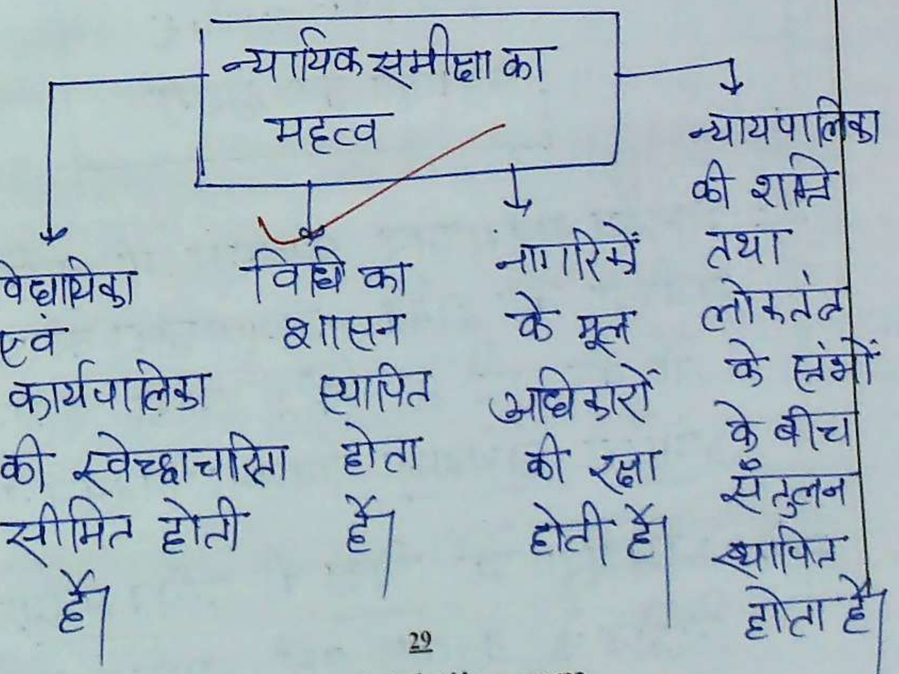

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा संबंधी प्रावधान

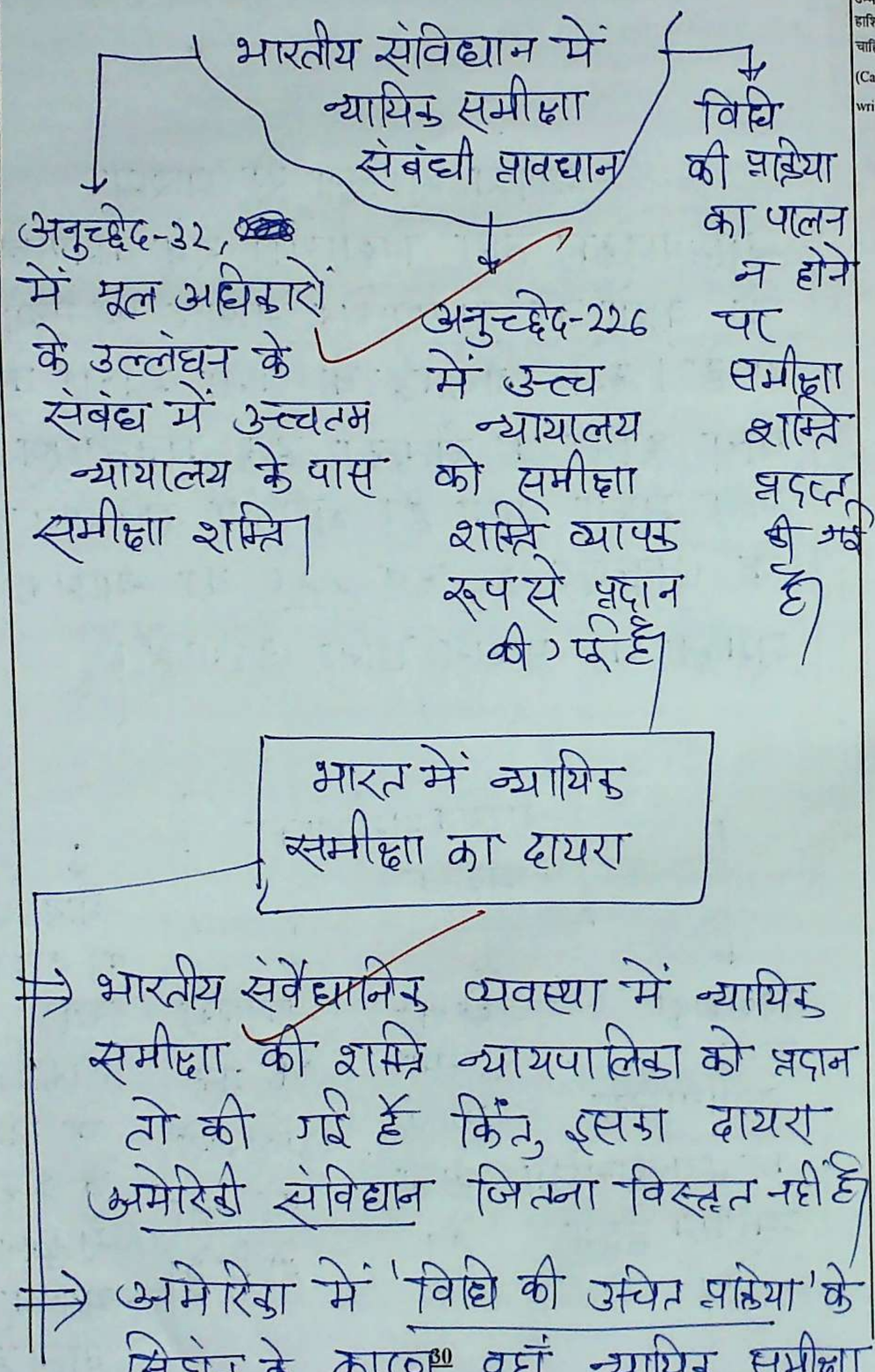

अनुच्छेद-32, में मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के पास समीक्षा शक्ति।

अनुच्छेद-226 में उच्च न्यायालय को समीक्षा शक्ति व्यापक रूप से प्रदान की गई है

विधि की प्रक्रिया का पालन न होने पर समीक्षा शक्ति प्रदत्त की गई है

भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा

⇒ भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को प्रदान तो की गई है किंतु, इसका दायरा अमेरिकी संविधान जितना विस्तृत नहीं है।

⇒ अमेरिका में 'विधि की उचित प्रक्रिया' के सिद्धांत के कारण वहाँ न्यायिक समीक्षा

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

शक्ति का विस्तार अधिक है।

good

7.5/15

दृष्टिकोण में संतुलन, समावेशन एवं गहराई नहीं।

⇒ हालांकि भारत में 'मूल ढाँचे' के सिद्धांत (केशवानंद भारती वाद) के विकास के बाद न्यायिक समीक्षा का दायरा विस्तृत हुआ है इसे विधायिका द्वारा 99वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के संदर्भ में समझा जा सकता है।

वस्तुतः भारतीय संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारिकता के दृष्टिकोण को अत्यधिक महत्व देती है यही दृष्टिकोण उसने न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में भी अपनाया है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

14. राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डालिये। 'केंद्र के एजेंट' के रूप में राज्यपाल की भूमिका की समालोचनात्मक विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

Highlight the role of governor as the constitutional head of the state. Critically examine the governor's role as 'an agent of the center'. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भूमिका अधूरी है।

भारतीय गणतंत्रात्मक व्यवस्था दोहरी संसदीय प्रणाली पर आधारित है। यहाँ केंद्रीय स्तर पर राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति एवं राज्यों में राज्यपाल होता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के दायित्व का भी निर्वहन करना होता है।

संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका

- राज्य (Union) का प्रमुख।
- तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर।
- सरकार के स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुत: जब

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

प्रधानमंत्री का पद अकस्मात खाली हो जाय और नवीन प्रधानमंत्री का चुनाव करना हो

⇒ चुनाव पश्चात किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर किसे सरकार बनाने का अवसर दिया जाय इसका निर्धारण करता है।

⇒ राष्ट्रपति विधायिका का एक अंग भी होता है इसके हस्ताक्षर के बाद ही कानून का निर्माण होता है।

⇒ यह विदेशों में भारत राज्य का प्रतिनिधित्व करता है।

⇒ विदेशी राजदूतों आदि से परिचय प्राप्त करता है।

संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका

- राज्य में सरकार का स्थायित्व सुनिश्चित करना
- विधि निर्माण प्रक्रिया पूर्ण करना
- राज्य का प्रमुख
- राज्य के विश्वविद्यालयों का प्रमुख

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल

सकारात्मक भूमिका

- राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने में
- राज्य एवं केंद्र के बीच समन्वय की एक कड़ी के रूप में
- राज्य की स्थिति की सूचना केंद्र तक पहुँचाने में

नकारात्मक भूमिका

- कई बार राज्यपाल समानांतर शक्ति का केंद्र बन जाते हैं।
- राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो तो राज्यपाल पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगता है
- त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भूमिका पर विवाद

वस्तुतः राज्यपाल जैसी संस्था को निर्विवाद बनाए रखने हेतु सरकारिया आयोग आदि की सिफारिशों पर गंभीरता से मंथन करने की

V.good 8/15

* अधिकतम संभावित बिंदुओं का समावेश।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

15. क्या दल-बदल विरोधी कानून विचार विमर्श करने वाली संस्थाओं के तौर पर हमारी विधायिकाओं के कामकाज के लिये बाधा है, जो कि कार्यपालिका को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता हैं? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Is the anti-defection law detrimental to the functioning of our legislatures as deliberative bodies, which hold the executive accountable to the citizens? Critically analyze. (250 words) 15

~~1989~~ 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल विरोधी प्रावधानों को संविधान में शामिल किया गया हालांकि इसका उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में 'आया राम - गया राम' की परम्परा पर रोक लगाना था किंतु इसने परिपक्व विधायिकी संस्कृति के निर्माण में बाधा पहुँचायी है।

भूमिका अच्छी है।

दल विरोधी कानून प्रमुख प्रावधान

- सभी सदस्यों को पार्टी व्हिप के निर्देशों का पालन करना होगा
- व्हिप के विरुद्ध वोट दल बदल कानून का उल्लंघन हो सकता है
- दल पर निर्णय स्पीकर द्वारा किया जाता है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दलबदल कानून

लाभ
- सरकारों का स्थायित्व सुनिश्चित करने में मदद मिली है।
- विधायकों एवं सांसदों की खरीद फरोख्त की संभावना सीमित हुई है।
- बार-बार सरकार गिरने के मनोवैज्ञानिक दबाव से दलों, नेताओं एवं आम जनता को राहत मिली है।

सीमाएँ
- संसद सदस्यों एवं विधायकों द्वारा स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखने की संभावनाएँ लगभग समाप्त हो गयी हैं।
- इस प्रकार विधायिका का मूल

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य (कार्यपालिका पर नियंत्रण) प्रभावित हो रहा है क्योंकि कैबिनेट के प्रस्तावों के समर्थन में वोट करने हेतु बाध्यकारी व्हिप की परम्परा विकसित हो चुकी है।

7.5/15

मांगानुरूप सभी पक्षों पर स्पष्ट चर्चा

वस्तुतः किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में विधायिका के सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए, हाँ ऐसा कानून तब लगाया जा सकता है जब अविश्वास प्रस्ताव आदि पर मतदान हो रहा हो।

निष्कर्ष अच्छा है

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

16. कुशल और पारदर्शी शासन के संघर्ष में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का पद अग्रणी भूमिका में रहा है। इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द) 15

The office of the CAG has been a vanguard in the fight for efficient and transparent governance. Examine. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान किए गये हैं। वस्तुतः CAG जैसी संस्थाओं की परिकल्पना राजव्यवस्था के संरक्षक के रूप में की गई है।

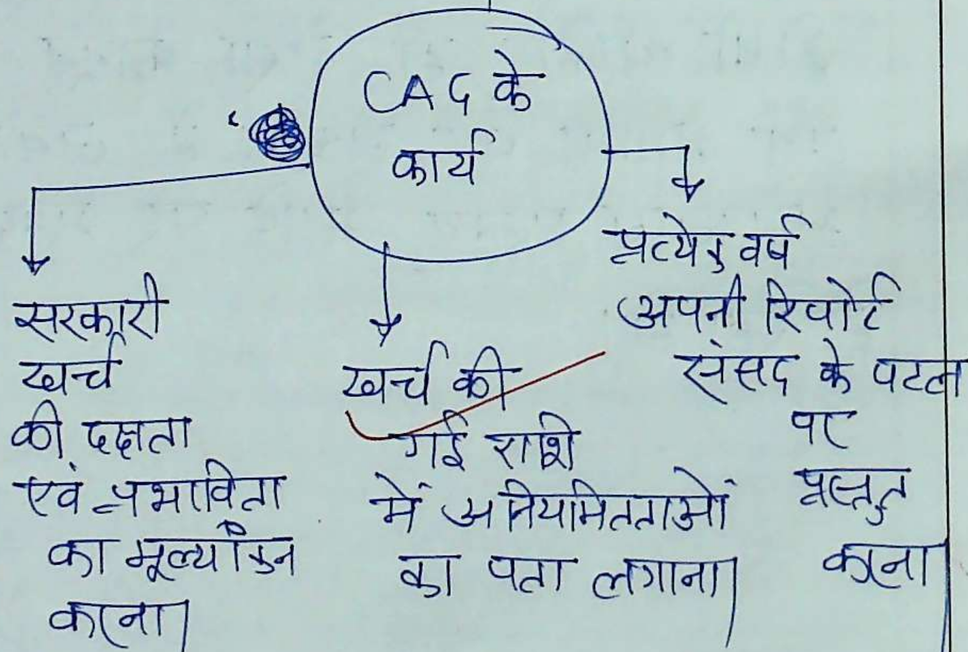

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कुशल एवं पारदर्शी शासन में CAG की भूमिका

- विभिन्न निधियों से किस प्रकार राशियों का खर्च किस रूप में किया गया है। इसका मूल्यांकन CAG संसद को प्रस्तुत कर समस्त व्यय को पारदर्शी बनाता है।
- सार्वजनिक उद्यमों के संचालन आदि का भी मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।
- संसद द्वारा CAG की रिपोर्ट को अत्यधिक महत्व दिया जाता है इस तरह यह जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है।
- मीडिया एवं जन सामान्य को कई बार अनियमितता संबंधी सूचनाएँ CAG से ही प्राप्त होती हैं। उदाहरणार्थ:- 2G घोटाला

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

7.5/15

विषयवस्तु एवं संदर्भ दर्शाता के स्तर पर आपके द्वारा किया गया प्रयास अच्छा है।

CAG की सीमाएँ

→ CAG के पास केवल लेखा परीक्षा की शक्ति है, नियंत्रक की नहीं।

→ CAG के पास किसी प्रकार की कार्यवाही का अधिकार नहीं है।

→ इसकी अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं।

→ कई बार CAG का चुनाव भी विवादित रहता है।

उपर्युक्त सीमाओं में से कुछ को दूर कर CAG को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

17. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान की 'नवीन विशेषताओं' के रूप में वर्णित किया गया है। चर्चा कीजिये कि उन्होंने विभिन्न विधानों के आधार के रूप में कैसे कार्य किया है? (250 शब्द) 15

Directive Principles of State Policy have been described as 'novel features' of the Indian Constitution. Discuss how they have served as a basis for various legislations? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

कई लोगों ने भारतीय संविधान की व्याख्या दिलचस्प तरीके से करते हुए कहा कि भारतीय संविधान कुछ और नहीं बल्कि 1935 का अधिनियम ही है बस इसमें मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व जोड़ दिए गये हैं।

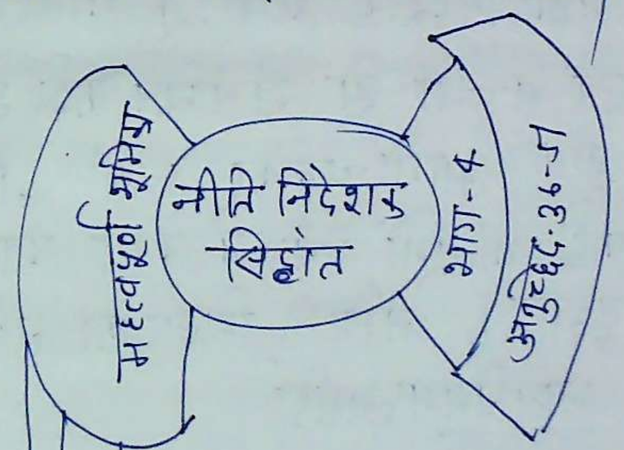

→ नीति निर्माण में मार्गदर्शक।

→ राज्य के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करता है।

→ भविष्य की रणनीति हेतु एक ढाँचा मुहैया करवाता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

नीति निदेशक तत्वों ने अघोलिखित तरीके से विभिन्न विधानों को आधार प्रदान किया है।

1) नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद- 40 ने भारत में 73वें, 74वें संविधान संसोधन को प्रेरित किया।

2) नीति निदेशक तत्वों के भीतर महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कई प्रावधान हैं। आगे चलकर इन्हीं आधारों पर कई कानूनों एवं नीतियों का विकास हुआ। जैसे- शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि।

3) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को भी नीति निदेशक तत्वों ने प्रोत्साहित किया।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

drishti | दृष्टि The Vision

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

good 7/15

• विषयवस्तु के स्तर पर आपके द्वारा किया प्रदर्शन अच्छा रहा है।

4) नीति निदेशक तत्वों के समाजवादी प्रावधानों ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण आदि को बल प्रदान किया।

5) नीति निदेशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के बीच उपजे संघर्ष ने अनेक संविधान संसोधनों एवं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का मार्ग प्रशस्त किया।

साफ-सुथरी हैंडराइटिंग

वर्तमान में एकसमान नागरिक संहिता का विमर्श तेजी से महत्व प्राप्त कर रहा है जिसके पीछे की शक्ति भी नीति निदेशक तत्वों से ही संचालित है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

18. सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में दबाव समूहों की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Critically analyze the role of pressure groups in influencing the policies of the government. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

Good

दबाव समूहों से आशय ऐसे गैर सरकारी संगठनों से है जो विभिन्न वर्गीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष तरीके से सरकारी नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं।

उदाहरणार्थ :- फिक्की, भारतीय किसान यूनियन, एसोचैम आदि।

दबाव समूहों की सकारात्मक भूमिका

⇒ ये सरकार एवं आम जनता के बीच महत्वपूर्ण संवाद कड़ी का निर्माण करते हैं।

⇒ ये सरकार को हितधारकों से महत्वपूर्ण फीडबैक प्रदान करते हैं जैसे-

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

किसान संगठन किसानों की मांगों एवं उनकी समस्याओं की वास्तविकता से सरकार को अवगत कराते हैं।

⇒ ये नीति निर्माण में भी सहायता करते हैं जैसे- एसोचैम जैसी संस्थाएँ भारत में साइबर सुरक्षा नीति निर्माण में भूमिका निभा रही हैं।

⇒ ये विभिन्न हितों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करवाते हैं। जैसे- मुक्त व्यापार से जहाँ कुछ हितधारकों को फायदा होने वाला था वहीं डेयरी समूहों के हितों को महत्व देते हुए सरकार ने RCEP से बाहर रहने का निर्णय किया।

नकारात्मक भूमिका

⇒ ये महत्वपूर्ण सुधारों में बाधा भी बनते हैं। जैसे- ट्रेड यूनियन, कर्मचारी

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

7.5/15 good.

प्रश्न की सटीक समझ एवं उचित Content.

यूनियन आदि निजीकरण, मजदूर संहिता के निर्माण में बाधक बनते हैं।

→ इसी प्रकार ये समूह जन सामान्य को सरकारी नीतियों के प्रति दिग्भ्रमित कर सकते हैं जैसे- कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन।

⇒ कुछ मानवाधिकार संगठन एवं NGO आदि पर्यावरण, मानवाधिकार आदि के नाम पर देश विरोधी कृत्यों में सम्मिलित होते हैं।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद सरकार द्वारा इस प्रकार के समूहों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

निष्कर्ष अच्छा है।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

19. भारत में हाल ही में शुरू किये गए कुछ चुनावी सुधार कौन-से हैं? जहाँ तक चुनावी सुधारों का संबंध है, आपके अनुसार किन मुद्दों का समाधान किया जाना बाकी है? (250 शब्द) 15

What are some of the recent electoral reforms introduced in India? Which issues, according to you, still remain to be addressed as far as electoral reforms are concerned? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

एक कार्यात्मक लोकतंत्र विशेषकर भारत जैसा नए लोकतंत्र में लगातार चुनावी सुधारों की संभावनाएँ बनी रहती हैं। हाल ही में किए कुछ चुनावी सुधार प्रमुख हैं।

21वीं सदी में किए गए चुनावी सुधार

→ 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ADR की याचिका पर निर्णय दिया की सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति संबंधी एवं आपराधिक विवरणों को सार्वजनिक करना होगा।

→ 2013 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रक्रिया में NOTA के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

प्रावधान को शामिल करवाया।

⇒ हाल ही में EVM की विश्वसनीयता में वृद्धि हेतु VVPAT प्रणाली को शामिल किया गया है।

⇒ 2017 में वित्त अधिनियम द्वारा चुनावी बांड को लागू किया गया जिसका उद्देश्य चुनावी वित्तीयन को पारदर्शी बनाना एवं अवैध फंडिंग रोकना था।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने एवं एक साथ-चुनाव जैसे विमर्श को भी तेजी प्रदान की जा रही है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

कौन से चुनावी सुधार बाकी हैं?

⇒ एक उम्मीदवार को केवल एक चुनाव क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

⇒ निर्वाचन आयुक्तों की चुनाव प्रक्रिया को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाना चाहिए।

⇒ दो अतिरिक्त आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

⇒ पार्टियों के खर्च पर भी सीमा आरोपित किया जाना चाहिए।

⇒ राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

20. अनुच्छेद 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिये। इस संशोधन प्रक्रिया की अक्सर आलोचना क्यों की जाती है? (250 शब्द) 15

Describe the procedure of amendment of the Constitution of India under Article 368. Why has this amendment procedure been often criticized? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये। (Candidate must not write on this margin)

भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार से किया जाता सकता है जिसमें से दो प्रकार के संशोधन अनुच्छेद-368 भाग(xx) के अंतर्गत परिभाषित है।

1) विशेष बहुमत द्वारा संशोधन :-

→ इसमें संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में उपस्थित एवं मत देने वालों का दो तिहाई मत तथा समस्त मत का आधा से अधिक प्राप्त होना चाहिए।

2) विशेष बहुमत + आधे से अधिक राज्यों का समर्थन :-

→ संघीय मामलों से संबंधित संशोधन इस प्रणाली से होते हैं जिसमें आधे से अधिक राज्य सामान्य बहुमत से समर्थन करते हैं।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

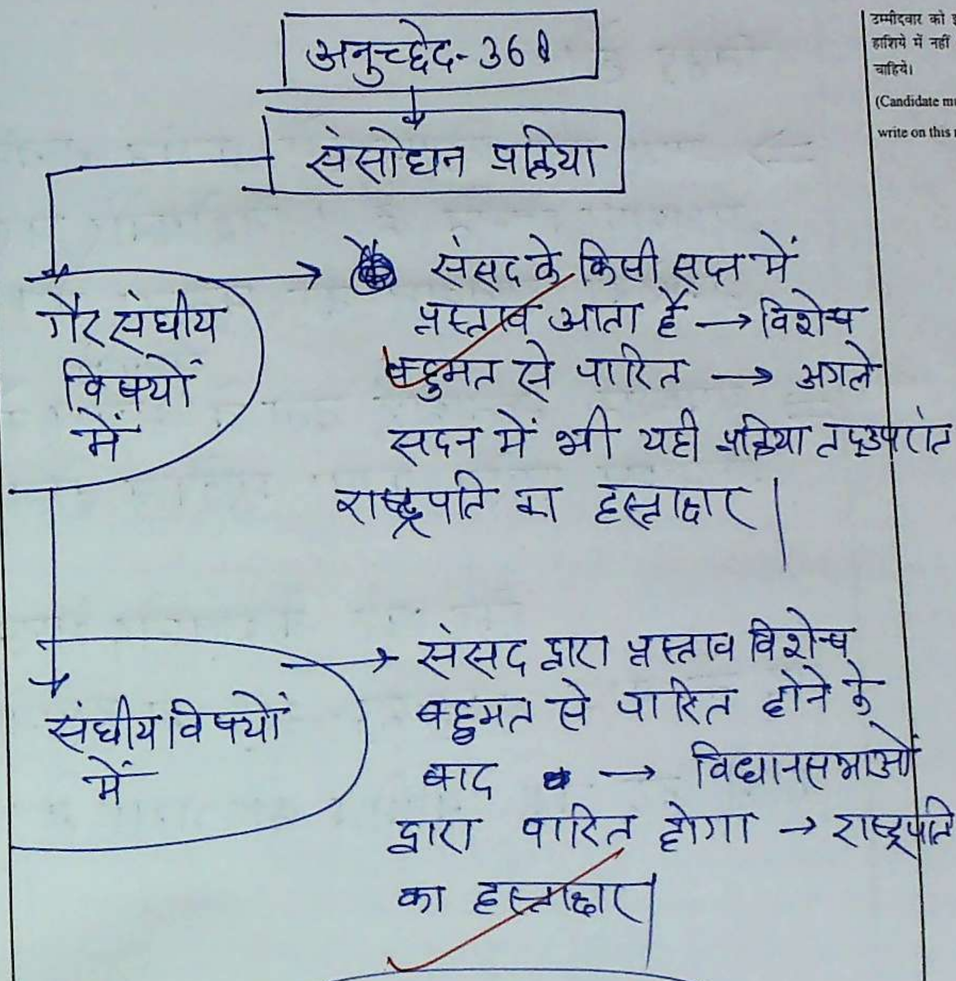

⇒ संविधान के एक बड़े हिस्से का संसोधन बिना राज्यों की सहमति से किया जा सकता है। यह संघीय ढांचे के

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

विरुद्ध है।

⇒ प्रायः कई विद्वान इसे अत्यंत लचीला प्रावधान मानते हैं। विशेषतौर पर अमेरिकी संविधान की तुलना में।

⇒ सामान्यतः सत्ताधारी दल के समर्थन के अभाव में संशोधन पारित करना मुश्किल होता है।

फिर भी केशवानंद भारती वाद के बाद अनुच्छेद-368 का दुरुपयोग काफी हद तक सीमित हो गया है।

7.5/15

अवधारणा स्पष्ट है।

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation